56

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

छप्पनवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

छप्पनवाँ प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

23 मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

23 मार्च, 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना..... (iii)

प्राक्कथन..... (v)

भाग- एक

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना 1

कार्य 1

बजटीय आवंटन और उपयोग 2

कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मुद्दे 4

(क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) 4

(ख) गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) 7

(ग) भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड 10

(घ) विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) 12

(ङ) भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) 14

(च) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) 16

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें 22-25

अनुबंध

28.02.2023 और 15.03.2023 को हुई समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश 26-30

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
5. डॉ सुभाष रामराव भामरे .
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री सुधीर गुप्ता
9. श्री मनोज कोटक
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री हेमंत पाटिल
12. श्री रवि शंकर प्रसाद
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. प्रो .सौगात राय
15. श्री पी .वी .मिधुन रेड्डी
16. श्री गोपाल शेट्टी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. डॉ) .प्रो (कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

22. डॉ राधा मोहन दास .अग्रवाल
23. श्री राघव चड्ढा
24. श्री पी .चिदम्बरम
25. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
26. श्री रायगा कृष्णैया
27. श्री सुशील कुमार मोदी
28. डॉ .अमर पटनायक

29. डॉ .सी .एम .रमेश
30. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ महाजन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायण	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री मेलोडी वुंगथियानसियाम	-	समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह छप्पनवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2023-24) 13 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने दिनांक 28 फरवरी, 2023 को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 15 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशोंको प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

एक. प्रस्तावना

कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अधिदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु वृहत संख्या में संविधियों का प्रशासन शामिल है जो कि नीचे दिया गया है:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी अधिनियम, 1956,
(ii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008,
(iii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,
(iv) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016,
(v) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949,
(vi) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959,
(vii) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980,
(viii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में)
(ix) कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

दो. **कार्य**

2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रशासन।
(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की शेष धाराओं को अधिसूचित करना।
(iii) इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न संविधियों के अधीन नियम और विनियमन तैयार करना।
(iv) भारतीय लेखांकन मानकों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपण करना।
(v) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम का कार्यान्वयन करना।
(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन करना।
(vii) कारपोरेट कार्यकरण में अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए तंत्र का निर्माण करना।
(viii) विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
(ix) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ियों का पता लगाना।
(x) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) संवर्ग का प्रबंधन करना।
(xi) आईआईसीए, एसएफआईओ, सीसीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी और आईबीबीआई नामक संबद्ध संगठनों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।

3. एमसीए देशभर में अर्धन्यायिक निकायों सहित अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों की सहायता से इन कार्यों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करता है । इसमें सात क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय के साथ, सत्रह कंपनी पंजीयकों के कार्यालय (आरओसी), नौ कंपनी-सह-शासकीय समापकों के कार्यालय (आरओसी-सह-ओएल), चौदह शासकीय समापकों के कार्यालय (ओएल), पांच सांविधिक निकाय यथा (i) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, (ii) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), (iii) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), (iv) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), (v) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफओ) प्राधिकरण, दो अर्धन्यायिक निकाय यथा (i) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), (ii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), एक स्वायत्त निकाय यथा भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) और दो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें यथा (i) कॉर्पोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम), (ii) चैंपियन क्षेत्र की स्कीम अर्थात् "जीएसटी लेखा सहायक" शामिल हैं ।

तीन. बजटीय आवंटन और उपयोग

4. मांग संख्या 17 के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुदानों में सॉफ्टवेयर विकास और उपर्युक्त कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिवालय, उसके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, अर्धन्यायिक सांविधिक निकायों और स्वायत्त संस्थानों के वेतन और खर्च को पूरा करने सहित आधारभूत अवसंरचना के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण का प्रावधान है। मंत्रालय द्वारा ब.अ. 2023-24 के लिए मांगी गई कुल धनराशि 1829.74 करोड़ रुपये थी, जिसके समक्ष ब.अ. 2022-23 में 756.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए । कुल ब.अ. आवंटन में से 619.57 करोड़ रुपये राजस्व मद के अधीन हैं और 136.62 करोड़ रुपये पूंजी मद के अधीन हैं ।

5. मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में उन मुख्य क्षेत्र, जहां बजट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया:

(i) मंत्रालय के अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों के संचालन हेतु किराए पर लिए गए विभिन्न भवनों का पुनरूद्धार ।

(ii) किराए पर लिए गए भवनों के लिए किराया एवं कर ।

(iii) एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईईपीएफ प्राधिकरण, एनएफआरए इत्यादि के कार्यालयों में विभिन्न पदों को भरना ।

(iv) कोलकाता में कॉर्पोरेट भवन का निर्माण ।

(v) आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा निवेशक जागरूकता के लिए विज्ञापन तथा दावों का निपटान ।

(vi) आईबीबीआई की आईबीसी-21 परियोजना ।

(vii) कंप्यूटर फोरेंसिक तथा डाटा माइनिंग लेबोरेट्री (सीएफडीएमएल) के लिए विभिन्न कृत्रिम उपकरणों का प्रापण और एसएफआईओ के सीएफडीएमएल यूनिट का स्तरोन्नयन भी करना ।

6. वर्ष 2019-20 से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का सारांश निम्नवत् है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन			संशोधित प्राक्कलन			वास्तविक व्यय			अभ्यर्पित		
	पूंजीगत	राजस्व	कुल	पूंजीगत	राजस्व	कुल	पूंजीगत	राजस्व	कुल	पूंजीगत	राजस्व	कुल
2019-20	41.00	545.34	**586.34**	12.50	563.50	**576.00**	12.45	549.66	**562.11**	28.50	15.52	**44.02**
2020-21	52.00	675.62	**727.62**	35.22	644.78	**680.00**	33.37	618.17	**651.54**	18.46	11.82	**30.28**
2021-22	51.00	661.13	**712.13**	40.30	619.45	**659.75**	40.18	588.79	**628.97**	0.00	24.91	**24.91**
2022-23	40.50	692.52	**733.02**	35.50	594.86	**630.36**	5.31	433.90	**439.21^**	-	-	-

^ **17.02.2023** की स्थिति के अनुसार

7. **मंत्रालय ने एक लिखित टिप्पण में पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के उपयोग न किए जाने के कारणों की जानकारी निम्नानुसार दी है**

2019-20 :

(i) एनएफआरए के गठन में विलंब।

(ii) एनसीएलटी और एनसीएलएटी आदि के अंतर्गत रिक्त पदों को नहीं भरा जाना।

(iii) पिछली तिमाही के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन।

(iv) इन्फोसिस, सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी आदि विक्रेताओं के बिल समय पर प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न पट्टे के परिसरों में किराए के आवास के बिल समय पर प्राप्त नहीं हुए थे, वित्तीय वर्ष के भीतर खर्च समय पर नहीं किया जा सका।

2020-21 :

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड 19 महामारी का प्रभाव।

(ii) संशोधित अनुमान 2020-21 के आवंटन तक 5% का मासिक वित्तीय प्रतिबंध लागू था।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम महीने में विक्रेताओं से अपेक्षित विभिन्न बिल कोविड 19 महामारी के कारण प्राप्त नहीं किए जा सके।

2021-22 :

(i) अप्रैल-जून 2021 के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव।

(ii) मंत्रालय को कोविड-19 महामारी के कारण मितव्ययिता उपाय के रूप में 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान 712.13 करोड़ रुपये के कुल बजट अनुमान का केवल 20% खर्च करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम महीने में विक्रेताओं से अपेक्षित विभिन्न बिल प्राप्त नहीं हो सके, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में समर्पण में वृद्धि हुई।

8. **मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया कि वर्ष** 2022-23 **के दौरान निधियों के उपयोग में विलंब के मुख्य कारण एमसीए21** V-3 **के कार्यान्वयन में विलंब और एलटीआई द्वारा कतिपय संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करना तथा एनसीएलटी, एनसीएलएटी और एनएफआरए में प्रत्याशित पदों को भरने पर भी है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि इस वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित अधिकतम सीमा में कोई चूक नहीं होगी।**

9. **साक्ष्य के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि वर्ष 2020-21 में निधियों का प्रतिशत उपयोग अर्थात् संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय 95.81% था और 2021-22 में यह 95.33% था।**

चार. कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मुद्दे

क. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए)

10. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 01 अक्तूबर, 2018 को निवेशकों, लेनदारों, लेखा और लेखा परीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके और कंपनियों और निकायों द्वारा किए गए लेखा कार्यों की प्रभावी निगरानी करने और लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभावी निरीक्षण द्वारा निगमित निकाय, सार्वजनिक हित और कंपनियों से जुड़े अन्य लोगों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था।

बजट उपयोग

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े
2020-21	33.80	23.73	22.82
2021-22	27.51	24.87	23.90
2022-23	29.61	36.49	26.62*
2023-24	43.20	-	-

*14.02.2023 की स्थिति के अनुसार

11. वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों में वद्धि किए जाने के कारण के बारे में, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि वृद्धि का मुख्य कारण रिक्त पदों को भरना है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल स्वीकृत 69 पदों में से 58 पदों से रिक्तियां घटकर 40 रह गई हैं। अध्यक्ष और दो सदस्य भी मार्च-अप्रैल 2022 में एनएफआरए में शामिल हुए।

12. **वर्ष 2023-24 के लिए निधियों के आबंटन में वृद्धि के कारणों पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:**

"निधियों के आबंटन में वृद्धि के कारणों के लिए, यह कहा गया है कि वर्तमान में, एनएफआरए की 69 स्वीकृत पद संख्याओं में से केवल 29 को पहले ही भरा जा चुका है। रिक्त पदों को भरने के लिए रिक्ति नोटिस जारी किए जाते हैं। उनके वेतन और भत्तों के अतिरिक्त, चिकित्सा कवर, घरेलू लाभ और वार्षिक स्वास्थ्य जांच व्यय, आईटी सहायता, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों, सहायक कर्मचारियों (मजदूरी) पर संबंधित खर्चों को 2023-24 के लिए बजट में रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि हो रही है।

एक संगठन के रूप में, एनएफआरए वर्तमान में सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर अधिक अधिकारियों की ज्वाइनिंग के साथ बढ़ रहा है। यह एनएफआरए को लेखांकन और लेखापरीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके सार्वजनिक हित और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों और निकायों से जुड़े अन्य लोगों के हितों की रक्षा करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रयास करने में सक्षम करेगा, और कंपनियों और निकायों द्वारा किए गए लेखा कार्यों की प्रभावी निगरानी करेगा।

लेखापरीक्षा फर्मों का लेखापरीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण दिसंबर 2022 में पहली बार शुरू किया गया है और यह एक आवर्ती कार्यकलाप होगा जिसे 2023-24 के लिए बजट में रखा गया है। आउटरीच और हितधारक जुड़ाव के अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए, सेमिनारों और अन्य कार्यकलाप के माध्यम से वकालत का बजट तैयार किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान की प्रस्तावित मांग की गणना में उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखा गया है।."

13. **लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए लेखापरीक्षा फर्मों के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट पेश करने का प्रस्ताव पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:**

"एनएफआरए नियम 2018 के नियम 8 (2) के अनुसार, एनएफआरए ने वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट के प्रकाशन को निर्धारित करना उचित समझा। विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। वर्तमान में दस्तावेज़ सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला है, जिसकी अंतिम तिथि 24 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट की इस आवश्यकता को एनएफआरए के दायरे में आने वाले पीआईई की लेखापरीक्षा में लगे लेखापरीक्षा पेशे में क्रमिक तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरुआत 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण द्वारा) की लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षाकों/ लेखापरीक्षा फर्मों से होती है।"

14. मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुत **एनएफआरए के कार्य और शक्तियां निम्नवत हैं:**

"एनएफआरए के कार्य और शक्तियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (2) और 132 (4) के तहत दी गई हैं।"

धारा 132 (2) के तहत, प्राधिकरण

- लेखांकन और लेखापरीक्षा नीतियों और मानकों पर केंद्र सरकार को सिफारिशें करेगा।
- लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन करेगा।
- ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करेगा, और सेवा की गुणवत्ता और ऐसे अन्य संबंधित मामलों में सुधार के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देगा।
- उपर्युक्त खंडों से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करेगा।

धारा 132 (4) के तहत, प्राधिकरण के पास

- चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत किसी सदस्य या चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म द्वारा किए गए पेशेवर या अन्य कदाचार के मामलों में केंद्र सरकार द्वारा स्वत: संज्ञान या संदर्भ पर जांच करने की शक्ति है।

- अनुशासनात्मक- जहां पेशेवर या अन्य कदाचार साबित होता है, वहां जुर्माना, निषेध या दोनों लगाना।

एनएफआरए ने प्रक्रियाधीन रिपोर्टों (6 एक्यूआर, 8 एफआरक्यूआर) के अतिरिक्त, अपनी निगरानी, निगरानी और प्रवर्तन कार्यों का प्रयोग करते हुए अब तक 5 लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एक्यूआर) (कंपनियों की लेखापरीक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा) और 4 वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा (एफआरक्यूआर) (कंपनियों के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता की समीक्षा) जारी की है। दिसंबर 2022 में पहली बार लेखापरीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण शुरू किए गए थे और वर्तमान में सबसे बड़ी 5 लेखापरीक्षा फर्मों के पांच निरीक्षण पूरे किए जा रहे हैं, जिसके अनुसरण में निरीक्षण रिपोर्ट जारी की जाएगी और निरीक्षण में पहचाने गए दोष / कमियों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अपनी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 6 आदेश जारी किए गए हैं, जो एनएफआरए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और 83 कारण बताओ नोटिस प्रक्रिया में हैं। एनएफआरए को एमसीए, एसएफआईओ, सेबी, सीईआईबी आदि से मामले/संदर्भ प्राप्त होते हैं। "

(ख) गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ)

15. गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) बहुआयामी जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 02.07.2003 के संकल्प के माध्यम से की गई, जिसका उद्देश्य गंभीर कॉर्पोरेट कपट का पता लगाना है । कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को भारत सरकार की दिनांक 21.07.2015 की अधिसूचना सं. का.आ.2005(ङ) के माध्यम से सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। कंपनी अधिनियम, 2013 ने अन्य बातों के साथ एसएफआईओ को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है और अधिनियम ने बाद में समर्थकारी प्रावधानों के माध्यम से इसके कार्य और शक्तियों को बढ़ाया है । एक बहु विषयक जांच एजेंसी है जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार, कॉर्पोरेट, विधि फारेंसिक जांच, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का पता लगाते हैं । इसका अध्यक्ष निदेशक है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के हैं । निदेशक की सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक, सहायक निदेशक, अभियोजक और अन्य सचिवीय स्टाफ है । एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, नई दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं ।

16. **गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के तहत आवंटित धन**

(करोड़ रुपये में)

साल	ब.अ.	सं.अ	वास्तविक आँकड़े
2020-21	23.05	27.14	27.80

2021-22	**29.23**	**36.13**	**37.01**
2022-23	**40.14**	**40.99**	-
2023-24	**54.92**	-	-

*दिनांक 10 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार

17. वर्ष 2021-22 और 2022-23 में आवंटन में वृद्धि के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

2021-22 और 2022-23 में आवंटन में वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं:

- वर्ष के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि।
- अन्वेषण मामलों में सहायता के लिए अतिरिक्त आउटसोर्स स्टाफ/परामर्शदाताओं/सीए फर्मों की नियुक्ति।
- फोरेंसिक प्रयोगशाला का उन्नयन जिसके लिए फोरेंसिक उपकरणों की स्थापना की आवश्यकता थी।

बजट अनुमान 2022-23 में 40.14 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 54.92 करोड़ रुपये करने के कारण निम्नानुसार हैं:

- यह आशा की जाती है कि वर्ष के दौरान अधिकांश रिक्त पदों को भर दिया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक वेतन मद के तहत निधियों के आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त 'कार्यालय व्यय', 'चिकित्सा', 'डीटीई' शीर्षक के तहत वृद्धि की आवश्यकता होगी।

- सीए फर्मों/परामर्शदाताओं आदि की नियुक्ति और सरकारी परामर्शदाताओं आदि को भुगतान सहित उनके भुगतान, उद्देश्य शीर्ष 28 (व्यावसायिक सेवाएं) के तहत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विधि फर्मों को शामिल करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।"

18. फोरेंसिक प्रयोगशाला के उन्नयन के संबंध में, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि एमसीए के दिनांक 07.02.2023 के पत्र के माध्यम से 68,10,390 रुपये की अनुमानित लागत के फोरेंसिक उपकरणों की खरीद/नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि जीईएम के माध्यम से अनुमोदित उपकरणों की खरीद/नवीकरण की प्रक्रिया चल रही है और चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे किया जाएगा।

19. **एसएफआईओ में आरंभ किए गए मामलों के विवरण पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:**

"पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसएफआईओ को सौंपे गए और पूरे किए गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	सौंपी गई जांच		पूरी की गई जांच	
	मामले	कंपनियाँ	मामले	कंपनियाँ
2019-20	26	326	14	356
2020-21	20	69	07	25
2021-22	14	96	13	29
2022-23 (15.02.2023 तक)	07	95	21	80

आज की तारीख में 85 जांच मामले चल रहे हैं, जिनमें 734 कंपनियां शामिल हैं; 08 कंपनियों से संबंधित 01 मामला न्यायालयों के स्थगन आदेशों के अधीन है।

अभियोजन मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है (15.02.2023 तक)

दर्ज शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या		सफलतापूर्वक अभियोजन चलाया गया (प्रतिशत)
	निपटाई गई	निपटाए गए मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित	
1213	483	364*	75.36%

*कंपाउंडिंग और जुर्माने के माध्यम से चल रहे दोषसिद्धि के 28 मामलों सहित

20. एसएफआईओ में स्टाफिंग के संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में सूचित किया कि वर्तमान में, अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 238 है। जिनमें से 88 अधिकारी/कर्मचारी पदासीन हैं। इसके अतिरिक्त, 16 अधिकारियों के जल्द ही एसएफआईओ में शामिल होने की संभावना है। सभी स्तरों पर रिक्त पदों को भरने के प्रयास पहले ही किए जा चुके हैं।

जहां तक सीए फर्मों/विधि फर्मों की नियुक्ति का संबंध है, इस समय जांच टीमों की सहायता के लिए 41 सीए फर्मों को लगाया गया है। विधि फर्म की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

ग. भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड

21. आईबीबीआई, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी इकोसिस्टम के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है। आईबीबीआई, संहिता के प्रावधानों के अनुसरण में दिवाला व्यवसाय के साथ साथ दिवाला प्रक्रियाओं (आईपी) को भी नियंत्रित करता है। इसमें दिवाला वृत्तिक (आईपी), दिवाला वृत्तिक एजेंसियां (आईपीए) दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं (आईपीआई) और सूचना उपयोगिताओं (आईयू) पर नियामक नियंत्रक है। इसे संहिता के तहत विभिन्न प्रक्रियों के लिए नियम बनाने का दायित्व दिया गया है जैसे कि कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया, फास्ट ट्रैक प्रक्रिया, कारपोरेट परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, फ्रैश स्टार्ट वैयक्तिक दिवाला प्रक्रिया और वैयक्तिक दिवालियापन। से संहिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आईपी, आईपीए और आईयू तथा अन्य संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देने और उनके कामकाजी और प्रक्रियों को विनियमित करने का दायित्व है। शासी बोर्ड में (क) एक अध्यक्ष; (ख) केंद्र सरकार के अधिकारियों में से तीन सदस्य जो संयुक्त सचिव या समकक्ष के पद से नीचे नहीं हैं, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं; (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित एक सदस्य; (घ) तीन पूर्णकालिक सदस्य; और (ङ) दो अंशकालिक सदस्य होते हैं।

22. **भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के तहत निधियों का आवंटन**

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक आँकडे
2021-22	**39.00**	**28.00**	**26.00**
2022-23	**58.02**	**32.06**	24.65*
2023-24	**41.85**	-	-

*दिनांक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार

23. वर्ष 2022-23 में निधियों के कमी किए जाने के कारणों के बारे में, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि आईबीबीआई को 58.02 करोड रुपये का बजट अनुमान आवंटित किया गया था, जिसमें आईबीसी-21 परियोजना के लिए 30.00 करोड रुपये शामिल हैं। तथापि, परियोजना की मंजूरी लंबित होने तक, आईबीसी-21 से संबंधित व्यय को वित्त वर्ष 2023-24 तक के लिए टाल दिया गया था। मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि आईबीबीआई ने 2023-24 के लिए 69.96 करोड रुपये के बजट अनुमान का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें आईबीसी-21 परियोजना के लिए 26.02 करोड रूपये शामिल थे।

24. **दिनांक 31 जनवरी 2023 तक आईबीबीआई द्वारा प्राप्त दिवाला पेशेवरों (आईपी) के संबंध में शिकायतें**

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	31 जनवरी **2023** तक
1	शिकायत प्राप्त हुई	6,670
2	शिकायत का निपटान	6,523
3	निरीक्षण/जांच के आदेश की संख्या	535
4	एससीएन ने आरपी को जारी किया	166
5	एससीएन का निपटान	145*

*निपटाए गए 145 मामलों में से 7 मामलों में पंजीकरण रद्द कर दिया गया, 39 मामलों में निलंबन जारी किया गया, 31 मामलों में मौद्रिक जुर्माना लगाया गया, 22 मामलों में चेतावनी जारी की गई, 4 मामलों में इंटर्नशिप सौंपी गई और 42 मामलों में बिना निर्देश के आदेश पारित किए गए।

25. **समाधान पेशेवरों के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:**

"भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा जारी आईबीबीआई (दिवाला पेशेवर) विनियम, 2017 की अनुसूची-I में आईबीबीआई के साथ पंजीकृत दिवाला पेशेवरों द्वारा पालन की जाने वाली एक विस्तृत आचार संहिता का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, आईबीबीआई उन सभी मामलों में जांच का आदेश दे रहा है जहां दिवाला पेशेवरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, आईबीबीआई ने 14 जून 2022 से अपने आईबीबीआई (शिकायत और शिकायत हैंडलिंग प्रक्रिया) विनियम, 2017 और आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियम, 2017 में व्यापक रूप से संशोधन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिकायत सौंपने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और शिकायतों के निपटान में समय अवधि को कम किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना उचित है कि एमसीए और आईबीबीआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर, आईबीबीआई को सेवा प्रदाताओं के खिलाफ 100 निरीक्षण / जांच करने की आवश्यकता है। उसी के अनुसार, आईबीबीआई निरीक्षण/जांच कर रहा है।

इसके अतिरिक्त समाधान पेशेवरों को नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत रखने के लिए, आईबीबीआई ने अनिवार्य किया है कि दिवाला पेशेवरों को नियमित आधार पर निरंतर व्यावसायिक शिक्षा से गुजरना चाहिए।"

घ. विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ)

26. विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने और निवेशकों के दावों की वापसी करने के उद्देश्य से किया गया था। यह निधि भारत की संचित निधि के अधीन रखी जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार सभी शेयरों जिनके संबंध में लगातार सात वर्ष या अधिक समय से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 में उपबंध है कि यदि कंपनी द्वारा दावा दाखिल करने के तीस दिनों के भीतर ऑनलाइन सत्यापन नहीं भेजा जाता है, तो कंपनी प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम दो हजार पांच सौ रुपये के अध्यधीन पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर सकती है।

27. **आईईपीएफ प्राधिकरण के तहत निधियों का आवंटन**

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक आँकड़े
2020-21	**5.09**	**4.60**	**5.74**
2021-22	**5.13**	**6.47**	**6.29**
2022-23	**7.04**	**9.04**	5.85*
2023-24	**9.13**		

*दिनांक 13.02.2023 की स्थिति के अनुसार

28. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों के आबंटन में वृद्धि के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि यह वृद्धि 29 अतिरिक्त कंपनी सचिवों की मंजूरी, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव कार्य, आईटी संबंधी व्यय आदि में वृद्धि के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में जीईएम के अनुबंध मूल्य में वृद्धि के कारण है। मंत्रालय ने आगे जानकारी दी कि बजट अनुमान 2023-24 में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है कि अतिरिक्त श्रमशक्ति को काम पर रखा जाएगा और कार्यालय व्यय में वृद्धि की उम्मीद है।

29. पिछले तीन वर्षों के दौरान आईईपीएफ में दायर किए गए दावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	*2022-23
दायर दावों की कुल संख्या	16,166	14,032	28,647	30,317
अनुमोदित दावों की कुल संख्या	6,989	7,262	10,472	8,216
खारिज किए गए दावों की कुल संख्या	700	6,957	14,549	10,232
कंपनियों द्वारा निपटान के लिए अब तक लंबित दावे	16,309	12,792	16,418	23969

* डाटा **31.01.2023** तक अनंतिम है

30. **आईईपीएफ प्राधिकरण में जनशक्ति बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया::**

"रिक्त पदों के लिए खुला विज्ञापन जारी कर दिया गया है। प्राप्त आवेदनों पर तत्काल आधार पर कार्रवाई की जा रही है, तथापि प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्त पद को भरने के लिए अधिक आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। पदों के लिए, उपयुक्त जनशक्ति तैनात करने के लिए इस मामले को कैडर नियंत्रण प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त **29** कंपनी सचिवों का चयन किया गया है। जनशक्ति की कमी के कारण अनुमोदन, शेयर और लाभांश हस्तांतरण की प्रक्रिया में और देरी हो रही है। आईईपीएफ प्राधिकरण में **29** स्वीकृत पदों की तुलना में केवल **11** पद भरे गए हैं। जागरूकता कार्यकलापों के लिए और अधिक कार्यकलाप करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति को शामिल करने का प्रस्ताव है।"

31. **वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के तहत स्थापित किए जाने वाले एक एकीकृत आईटी पोर्टल के संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:**

"निवेशकों को आईईपीएफए प्राधिकरण से अदावाकृत शेयरों और अवैतनिक लाभांश को पुनः प्राप्त करने की सुविधा के लिए एक एकीकृत पोर्टल तैनात किया जाएगा। दावों की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा और दावेदार वास्तविक समय में दावे की स्थिति का पता लगाने में सक्षम होगा, जो प्रक्रिया को पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर ले जाएगा।

एंड टू एंड पोर्टल सभी हितधारकों जैसे दावेदारों, कंपनियों, डिपॉजिटरी, भुगतान प्रणाली आदि को एपीआई एकीकरण आदि जैसे उन्नत आईटी समाधान के माध्यम से इंटरकनेक्टिविटी और इंटरऑपरेबिलिटी के साथ एक ही मंच पर लाने का प्रयास करेगा।"

ङ. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

(ङ) भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई)

32. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए मार्च, 2009 में विधिवत् रूप से की गई थी । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना;

(ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सुस्थिर बनाना;

(ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण; और

(घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

33. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विलयन या संयोजन नियमित करने का और यदि उसका यह मत हो कि किसी विलयन या समामेलन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर 'महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव' है या पड़ने की संभावना है तो समाप्त करने का अधिकार है ।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ	सं.अ.	वास्तविक आँकड़े
2019-20	79.89	55.49	55.49
2020-21	66.00	53.19	46.15
2021-22	46.00	46.00	46.00
2022-23	46.00	47.02	47.60*
2023-24	51.00	-	-

***जनवरी 2023 तक**

34. **सीसीआई के पास लंबित मामलों (एंटीट्रस्ट मामले और संयोजन) की कुल संख्या**

वर्ष	धारा 4 और 3 (ट्रस्ट-एंटी)				धारा 6 और 5 (संयोजन)
	कुल लंबित मामलों की संख्या	सीसीआई में लंबित मामले		जांच के लिए डीजी के पास लंबित मामले	सीसीआई के समक्ष कुल लंबित मामलों की संख्या
		प्रथम दृष्टया चरण में	डीजी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद		
2020-21 (31.03.2021	140	25	43	72	11

तक)					
2021-22 (31.03.2022 तक)	124	20	43	61	8
2022-23 (31.01.2023 तक)	114	19	41	54	8

35. **"भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कर्मचारियों की संख्या के संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि:**

<u>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और डीजी कार्यालय में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या:</u>

कार्यालय का नाम	वर्तमान स्वीकृत संख्या	वर्तमान संख्या	वर्तमान रिक्ति की स्थिति
सीसीआई	154	105	49
डीजी, सीसीआई का कार्यालय	41	23	18
कुल संख्या:	195	128	67

वित्तीय वर्ष 2022-23 (14.02.2023 तक) के दौरान प्रतिनियुक्ति के आधार पर सीसीआई और डीजी कार्यालय में 13 अधिकारियों (सीसीआई में 04 और डीजी कार्यालय में 09) की नियुक्ति की गई थी। महानिदेशक कार्यालय में संयुक्त महानिदेशक के 04 पदों और अतिरिक्त महानिदेशक के 02 पदों पर चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र उम्मीदवारों के साथ बातचीत, जिन्हें विज्ञापित किया गया था।

सीसीआई में 49 रिक्त पद सीधी भर्ती कोटा, पदोन्नति कोटा और प्रतिनियुक्ति कोटा से संबंधित हैं। इन रिक्त पदों में से अधिकांश (व्यावसायिक स्टाफ के 27 पद) सीधी भर्ती कोटा से संबंधित हैं और सीसीआई की चल रही व्यापक संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन के कारण, इन डीआर कोटा पदों पर भर्ती नहीं की जा सकी है।

पदोन्नति कोटा पदों के संबंध में, 01.01.2023 तक सभी पात्र अधिकारी, जिन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया था, उन्हें पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। सीसीआई के पात्र उम्मीदवारों की आगे की पदोन्नति पर अगली नियत तारीख अर्थात् 01.01.2024 को विचार किया जाएगा।

जहां तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर सीसीआई में पदों को भरने का संबंध है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर 01.11.2022 को 33 पद (डी.आर. कोटा के उप निदेशकों के रिक्त पदों सहित व्यावसायिक अधिकारियों के 25 और सहायक स्टाफ के 09) विज्ञापित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है।

डीडीजी और जेडीजी के पदों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं। सीसीआई और डीजी-सीसीआई के ओ/ओ के संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन के प्रस्ताव की पुन जांच की जा रही है।"

36. प्रारूप डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम की स्थिति के बारे में, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर एक पृथक कानून की आवश्यकता की जांच करने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर एक समिति का गठन किया है।

37. साक्ष्य के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव ने उल्लेख किया कि:

"महोदय, डिजिटल प्रतिस्पर्धा संबंधी समिति के मुद्दे पर हमने सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें सीसीआई के अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य हितधारक भी शामिल हैं। समिति की अब तक एक बैठक हो चुकी है और अब हम 04 मार्च से हितधारकों को सुनने जा रहे हैं। हम समिति का कार्य अगले 2-3 माह में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी हितधारकों की बात सुनेंगे और इसमें रुचि रखने वाले विभिन्न लोगों से भी बात करेंगे और फिर हम एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। इसका गठन फरवरी में किया गया है। इसलिए, हमें मई तक कार्य पूर्ण होने की आशा है।"

38. सीसीआई में मामलों की सुनवाई के लिए बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया:

"आयोग की संरचना, एक अध्यक्ष और दो से छह सदस्यों की है। तीन सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होती है।"

च. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)

39. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन 1 जून, 2016 को अधिसूचित किया गया । इन निकायों का गठन कॉर्पोरेट विवादों के शीघ्र समाधान हेतु और साथ ही देश में 'व्यापार में सुगमता' को प्रोत्साहन देने हेतु एजेंसियों की बहुलता को कम करने के लिए किया गया है । एनसीएलटी के गठन के साथ ही कम्पनी विधि बोर्ड(सीएलबी) समाप्त हो गया और सीएलबी के पास लंबित मामले एनसीएलटी के पास चले गए । प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कॉम्पेट) का भी अस्तित्व समाप्त हो गया है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अपीलीय कार्य अब एनसीएलएटी को प्रदान किया गया है ।

4.0 एनसीएलटी के तहत धनराशि का आवंटन

(करोड़ रु. में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक आंकड़े
20-2019	52.15	60.53	63.34
21-2020	69.13	78.92	77.23
22-2021	84.01	83.24	81.40
23-2022	89.36	86.85	66.62*
24-2023	88.68	-	-

*13.02.23 की स्थिति के अनुसार

41. एनसीएलटी के लिए निधियों के आवंटन में वृद्धि के संबंध में, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

"एनसीएलटी की स्थापना 01.06.2016 को हुई थी और यह अपेक्षाकृत एक नया निकाय है और अभी भी विकसित हो रहा है। सरकार एनसीएलटी को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है जिसमें, नई न्यायपीठों की स्थापना, सदस्यों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की भर्ती, ई-न्यायालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के वेतन आदि के कारण प्रशासनिक व्यय में वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में एनसीएलटी के लिए आबंटन में वृद्धि हो रही है।"

42. संस्थान की नवीनतम स्थिति, मामलों के निपटान और लंबित मामलों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नलिखित जानकारी दी:

"दिनांक 31.12.2022 की स्थिति तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में संस्था, निपटान और लंबित मामलों की स्थिति निम्नानुसार थी:

पूर्ववर्ती सीएलबी से प्राप्त मामले।	5,345
तक उच्च न्यायालयों से स्थानांतरण पर 31.12.2022प्राप्त मामले।	4,420
एनसीएलटी में तक 31.12.2022 फाइल किए गए नए मामले।	82,780
तक 31.12.2022 से 01.06.2016निपटाए मामलों की संख्या।	71,434
लों की संख्या।की स्थिति के अनुसार लंबित माम 31.12.2022	21,111

एनसीएलटी मामलों की स्वीकृति या निपटान में लगने वाले औसत समय के आंकड़े नहीं रखता है।"

43. पिछले चार वर्षों के दौरान एनसीएलटी में लंबित मामले

दिनांक तक लंबित मामले	मामलों की संख्या
31.12.2019	20542
31.01.2021	21128
31.12.2021	20782
31.12.2022	21111

44. एनसीएलटी में खंडपीठों की संख्या बढ़ाने तथा जनशक्ति को सदृढ करने के मुद्दे पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

"एनसीएलटी की पीठों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से कार्यभार की उपलब्धता, भौतिक अवसंरचना, सदस्यों और अन्य सहायक कर्मचारियों आदि को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। प्रारंभ में नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और 10 स्थानों अर्थात् नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 10 क्षेत्राधिकार पीठ स्थापित किए गई थी। 2018 में, कटक, जयपुर और कोच्चि में न्यायपीठों को अधिसूचित किया गया था। 2019 में, अमरावती और इंदौर में न्यायपीठों को भी अधिसूचित किया गया था, जिससे क्षेत्राधिकार न्यायपीठों की कुल संख्या 15 हो गई। जिन न्यायपीठों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जैसे मुम्बई, दिल्ली आदि में एक से अधिक न्यायालय हैं। सदस्यों की रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है और रिक्तियों को समय-समय पर भरा जाता है। वर्तमान में, एक अध्यक्ष और 38 सदस्य पद पर हैं। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और चयन समिति ने पहले ही आवेदकों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की है। एनसीएलटी द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों (प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सीधी भर्ती के आधार पर) के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की

भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, तथापि कोविड महामारी ने 2020-2021 में प्रक्रिया को प्रभावित किया।

जहां तक सदस्यों की 15 रिक्तियों को भरने की स्थिति का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि सरकार ने दिसंबर 2020 तक रिक्तियों के लिए सितंबर-अक्टूबर 2021 में 21 सदस्यों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की थी, जिनमें से 20 सदस्य 2021 में शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त सरकार ने बाद की रिक्तियों के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति को भी स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए अक्टूबर 2021 में एक विज्ञापन जारी किया गया था। उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव 09.11.2022 को जारी किया गया है। 13 उम्मीदवार पहले ही सदस्यों के रूप में शामिल हो चुके हैं और 1 को शामिल होने के लिए समयावधि को बढ़ा दिया गया है। न्यायिक सदस्य के लिए शेष एक उम्मीदवार ने शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की है और उनके स्थान पर, सक्षम प्राधिकारी ने न्यायिक सदस्य के रूप में प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार की नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है। उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जा रहा है।"

45. वर्चुअल सुनवाई और ई-कोर्ट की प्रगति के संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

"सभी एनसीएलटी न्यायपीठों में वर्चुअल सुनवाई और ई-कोर्ट पूरी तरह से लागू किए गए हैं। आम जनता के लिए ई-फ़्लिंग एप्लिकेशन शुरू किया गया है और सभी एनसीएलटी पीठों में ई-कोर्ट लाइव हो गए हैं। सभी स्थानों पर आम जनता के लिए मामलों की वास्तविक समय की जानकारी के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए एसएमएस और ईमेल अलर्ट लागू किया गया है। सीआईएस मॉड्यूल में बैकलॉग आवेदन को मुख्य मामले से जोड़ने का प्रावधान भी पूरा हो गया है। यद्यपि, मामलों का सारा निपटान वर्चुअल के साथ-साथ भौतिक न्यायालयों के माध्यम से भी किया जाता है। जहां तक वर्चुअल न्यायालयों के माध्यम से निपटान का संबंध है, एनसीएलटी द्वारा कोई अलग खाता/आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।"

46. एनसीएलटी के वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में मंत्रालय ने उल्लेख किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 461 के अनुसरण में, मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे और उस वर्ष की समाप्ति के एक

वर्ष के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जिससे यह रिपोर्ट संबंधित है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ एनसीएलटी में मामलों की संस्था और निपटान संबंधी आंकड़े शामिल हैं।

47. आईबीसी के कार्यान्वयन के मुद्दे पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

"दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) को इसके डिजाइन और ढांचे के संदर्भ में भारत में पूर्ववर्ती दिवाला व्यवस्था से एक प्रतिमान बदलाव के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह प्रक्रिया के दौरान सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए कारपोरेट देनदार (सीडी) की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2021-22' पर आरबीआई की दिसंबर, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से 89,661 करोड़ रुपये की वसूली की है, जिसमें से आईबीसी चैनल के माध्यम से वसूली 47,421 करोड़ रुपये थी, जो कुल वसूली का लगभग 52.8% है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सितंबर, 2022 के अंत में, आईबीसी के माध्यम से प्राप्ति वित्तीय लेनदारों द्वारा शुरू की गई कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं (सीआईआरपी) के संबंध में परिसमापन मूल्य के करीब 201 प्रतिशत थी।

संचयी आधार पर, स्थापना के बाद से, 31 दिसंबर, 2022 तक, अनुमोदित समाधान योजनाओं के तहत लेनदारों के लिए वसूली योग्य मूल्य 2.53 लाख करोड़ रुपये रहा है। इन सीडी के पास उपलब्ध परिसंपत्तियों का परिसमापन मूल्य, जब उन्होंने सीआईआरपी में प्रवेश किया था, लेनदारों के कुल दावों के मुकाबले 8.31 लाख करोड़ रुपये के लेनदेनकर्ताओं के कुल दावों के मुकाबले 1.44 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था। लेनदारों के लिए वसूली योग्य मूल्य परिसमापन मूल्य का 175.91% रहा है। सीडी के समाधान में लगने वाले दिनों की औसत संख्या 587 दिन है (अधिनिर्णयन प्राधिकरण (एए) द्वारा दिए गए बहिष्कृत समय के अतिरिक्त), जो संहिता के तहत परिकल्पित 330 दिनों की निर्धारित समय सीमा से बाहर है।

इसके अतिरिक्त, संहिता को सशक्त करने और आवेदन को स्वीकार करने और समाधान योजना के अनुमोदन में देरी को कम करने और संहिता के तहत प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, इस मंत्रालय ने आईबीसी में सुझाए गए परिवर्तनों पर जनता से टिप्पणियां मांगने के लिए 18 जनवरी, 2023 को एक परामर्श पत्र जारी किया है। इस प्रकार प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की जांच की जा रही है और इस मंत्रालय पर विचार किया जा रहा है।"

48. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रस्तुत किया:

अपीलों की स्थिति

अधिकरण	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	निर्णय किए गए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
एनसीएलटी	92545	70637	21111
एनसीएलएटी	9789	7542	2247

पदों की स्थिति

अधिकरण**(24.02.2023 तक)**	पद	स्वीकृत	स्थिति में	खाली
एनसीएलटी	अध्यक्ष	01	01	-
	न्यायिक सदस्य	31	19	12
	तकनीकी सदस्य	31	20	11
एनसीएलएटी	सभापति	01	01	-
	न्यायिक सदस्य	05	04	01
	तकनीकी सदस्य	06	05	01

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

1. समिति नोट करती है कि अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के का बजटीय आवंटन 756.19 करोड़ रुपये है। यह आवंटन बी.ई. स्तर पर 2022-23 के लिए निर्धारित राशि से 23.17 करोड़ रुपये अधिक है और 2022-23 में आर.ई. के आंकड़ों की तुलना में 125.83 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2022-23 के लिए 733.02 करोड़ रुपये के बीई आवंटन में तीव्र संशोधन कर 630.36 करोड़ रुपये कर दिया गया। मंत्रालय ने सूचित किया है कि 17 फरवरी, 2023 तक 439.21 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और यह उल्लेख किया कि 2022-23 के दौरान आवंटित सीमा में कोई चूक नहीं होगी। तथापि, समिति पाती है कि मंत्रालय द्वारा 2020-21 और 2021-22 में 95% से अधिक निधियों के उपयोग की जानकारी दिए जाने के बावजूद, 2020-21 में 30.28 करोड़ रुपये और 2021-22 में 24.91 करोड़ रुपये की राशि वापस की गई, जोकि धनराशि के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में मंत्रालय की ओर से ढिलाई को दर्शाती है।

2. समिति नोट करती है कि एनएफआरए अक्तूबर, 2018 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, ताकि लेखांकन और लेखापरीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके और कंपनियों और कॉर्पोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी करके निवेशकों के हित और सार्वजनिक हित की रक्षा की जा सके। समिति ने पाया कि 2022-23 में एनएफआरए के लिए बजटीय आवंटन 43.20 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्षों के 29.61 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में 68.5% अधिक है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि आबंटन में वृद्धि, रिक्त पदों को भरने के कारण हुई है जिनकी संख्या कुल संस्वीकृत 69 पदों से 58 से घटकर 40 हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने और लेखापरीक्षा गुणवत्ता निरीक्षण करने के व्यापक कार्य के चार वर्ष पूरे कर लिए हैं, समिति पाती है कि एनएफआरए में अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं। समिति सिफारिश करती है कि एनएफआरए में 40 पदों की रिक्ति को आगामी वित्तीय वर्ष के भीतर तुरंत भरा जाए क्योंकि इसी उद्देश्य से निधियों में वृद्धि की गई है।

3. समिति नोट करती है कि जुलाई, 2003 में एक संकल्प के माध्यम से स्थापित किए जाने के बाद से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) अपनी स्थापना के बीस वर्ष पूरे करेगा। जुलाई, 2015 में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में बड़ी विफलताओं और शेयर बाजार घोटालों की पृष्ठभूमि में एसएफआईओ को कंपनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था। एसएफआईओ के लिए बजटीय आवंटन धीरे-धीरे पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है और 2022-23 (बीई) में 40.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (बजट अनुमान) में 54.92 करोड़ रुपये हो गया है। मंत्रालय ने रिक्त पदों को भरने की दिशा में बजट में इस वृद्धि को न्यायोचित ठहराया है। तथापि, समिति पाती है कि स्वीकृत 238 पदों में से 150 पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें मंत्रालय का दावा है कि वर्ष के दौरान भर दिया जाएगा। समिति ने पहले इंगित किया था कि एसएफआईओ के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार उसमें संस्वीकृत पदों की संख्या को 105 से बढ़ाकर 238 करने के मंत्रालय के प्रस्ताव से रिक्तियों में वृद्धि होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 762 कंपनियों से संबंधित 87 जांच मामले प्रगति पर हैं, समिति सिफारिश करती है कि बजट में वृद्धि का पूरा उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के भीतर ही एसएफआईओ में रिक्तियों को भरने के लिए किया जाए। समिति को आशा है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान एसएफआईओ के सभी 238 कर्मचारी तैनात हो जाएंगे और जांच मामलों को तेजी से निपटाया जाएगा।

4. समिति नोट करती है कि भारतीय 'बैंकरपसी बोर्ड ऑफ इंडिया' (आईबीबीआई), आईबीसी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख स्तंभों में से एक है। आईबीबीआई के पास दिवाला पेशेवरों की विनियामक निगरानी करता है और यह कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए विनियम बनाता है। समिति ने जटिल मामलों से निपटने में 'दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता का क्रियान्वयन- कमियां और समाधान' विषय पर अपने विषयगत प्रतिवेदन में समाधान पेशेवरों (आरपी) की योग्यता के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी। समिति यह पाती है कि संहिता लागू होने के छह साल बाद समाधान पेशेवरों का आचरण एक बाधा है, जिसने यथा परिकल्पित संहिता की गुणवत्ता और पवित्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आरपी के विरूद्ध निपटाई गई 6523 शिकायतों में से 535 जांच के आदेश दिए गए हैं और 166 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने सूचित किया है कि आईबीबीआई द्वारा आरपी को नियमित आधार पर सतत् व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

5. समिति नोट करती है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण की स्थापना, निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने और अदावाकृत शेयरों और लाभांश की वापसी करने के लिए की गई थी। मंत्रालय ने सूचित किया है कि अतिरिक्त जनशक्ति को भरने की प्रत्याशा में वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान 7.04 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 9.13 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, समिति ने पूर्व में सिफारिश की थी कि तीस दिनों के भीतर ऑनलाइन सत्यापन नहीं भेजने पर कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने को 2500 रुपये से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए, जोकि अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। समिति अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराती है क्योंकि 23,969 दावे कंपनियों द्वारा निपटान के लिए लंबित हैं। समिति आगे आशा करती है कि बजट भाषण में घोषित एकीकृत आईटी पोर्टल को तेजी से लागू किया जाएगा और इससे दावों का तेजी से निपटान होगा।

6. समिति ने नोट करती है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना 2009 में बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। जबकि पिछले तीन वर्षों में सीसीआई के पास लंबित मामलों की कुल संख्या 2020-21 में 151 से घटकर 2021-22 में 132 और 2022-23 में 122 (24 फरवरी, 2023 तक) हो गई है, समिति अब तक निपटाए गए मामलों में दोषसिद्धि दर से अवगत होना चाहेगी। सीसीआई और महानिदेशक (डीजी) कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या के बारे में मंत्रालय ने सूचित किया कि 195 की स्वीकृत संख्या में से 128 पद भरे हुए हैं और 67 पद रिक्त हैं। समिति पाती है कि वर्ष 2021-22 और 2020-21 में सीसीआई और डीजी कार्यालय में रिक्तियां क्रमशः 69 और 78 थी, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में अधिकांश वैधानिक और न्यायिक निकायों में एक सर्वथा व्याप्त समस्या रही है। समिति आगे पाती है कि सीसीआई और महानिदेशक कार्यालय की संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है और प्रक्रिया में गति लाने के लिए समिति की सिफारिशों के बावजूद अभी भी पुन: जांच की जा रही है। समिति यह महसूस करती है कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून संबंधी समिति के गठन के साथ-साथ सीसीआई के पास लंबित मामलों को मद्देनजर रखते हुए संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन प्रक्रिया को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा यथापरिकल्पित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून को माह मई 2023 तक अंतिम रूप दे दिया जाए।

7. समिति नोट करती कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का गठन वर्ष 2016 में कॉरपोरेट विवादों का तेजी से समाधान करने और एजेंसियों की बहुलता को कम करने के लिए किया गया था, जिससे देश में 'कारोबार करने में आसानी' को बढ़ावा दिया जा सके। अपने गठन के बाद से पिछले छह वर्षों में, एनसीएलटी ने नई खंडपीठों की स्थापना, सदस्यों की नियुक्ति और वर्चुअल न्यायालयों के कार्यान्वयन हेतु परिवर्तन और विकास किया है। तथापि, समिति पाती है कि पिछले चार वर्षों में एनसीएलटी में लंबित मामलों की संख्या स्थिर बनी हुई है जहां प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक मामले लंबित हैं। एनसीएलटी में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है और वह 31 न्यायिक सदस्यों की संस्वीकृत संख्या में से 15 रिक्तियों के साथ काम कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनसीएलटी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रवेश चरण से आरंभ होकर प्रत्येक चरण में भारी विलम्ब होने के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आने और वसूली की दर कम होने के चलते, समिति ने इससे पूर्व भी, लगातार अपने प्रतिवेदनों में इस स्थिति को उजागर किया था। इसलिए, समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है कि 31 न्यायिक सदस्यों की संस्वीकृत संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और रिक्तियों को अगले वित्तीय वर्ष के भीतर शीघ्र भरा जाना चाहिए।

नई दिल्ली
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 28 फरवरी, 2023 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा – सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री मनोज कोटक
8. श्री हेमन्त पाटिल
9. श्री रवि शंकर प्रसाद
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. प्रो. सौगत राय
12. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
13. श्री गोपाल शेट्टी
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

राज्य सभा

16. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
17. श्री राघव चड्ढा
18. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
19. श्री सुशील कुमार मोदी
20. डॉ. अमर पटनायक
21. डॉ. सी. एम. रमेश
22. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्षियों की सूची

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

1. डॉ. मनोज गोविल, सचिव
2. सुश्री अनुराधा ठाकुर, अपर सचिव
3. सुश्री कामिनी चौहान रतन, एएस एवं एफए
4. श्री एम.पी. साह, डीसीजीओए
5. श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव
6. श्री इंदर दीप सिंह धारिवाल, संयुक्त सचिव
7. सुश्री अनिता साह अकेला, संयुक्त सचिव
8. श्री सांतनु मित्रा, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
9. श्री पीयूष पांडे, रजिस्ट्रार, एनसीएलएटी
10. श्री अनुपम लाहिड़ी, सचिव, एनसीएलटी
11. श्री सिधिल ससी, डीडीजी (सांख्यिकी विभाग)
12. श्री तरणजित सिंह, सीसीए
13. सुश्री मिथलेश, सलाहकार (लागत)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के पश्चात्, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ने मंत्रालय की अनुदान मांगों (2023-24) और उससे संबंधित मुद्दों की जांच के संबंध में, समिति के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) दिया। जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें निधियों के दक्षतापूर्ण न किए गए उपयोग के कारणों, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक में किए गए संशोधन, प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम के संबंध में प्रगति शामिल हैं। समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में प्रस्तावित संशोधनों, आईबीसी के संशोधन के लिए परामर्श पत्र में चर्चा किए गए मुद्दों, आईबीसी के अंतर्गत रियल एस्टेट फर्मों के लिए पृथक रूप से प्रावधान करने की आवश्यकता, व्यक्तिगत दिवालियापन और सीमा पार दिवालियापन पर आईबीसी प्रावधानों के बारे में मुद्दे, आईबीसी के अंतर्गत दिवाला समाधान की पूरी प्रणाली के उद्देश्यपरक तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। समिति ने आगे आईबीसी के अंतर्गत समाधान पेशेवरों के तरीकों की लेखा परीक्षा की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया। समिति ने मंत्रालय के सांविधिक निकायों और अर्ध-न्यायिक निकायों में भारी रिक्तियों, एनसीएलटी में स्वीकृत संख्या बढ़ाने की जरूरत और एसएफआईओ और सीसीआई में कम दोषसिद्धि दर के मुद्दों पर भी चर्चा की।

3. साक्षियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिये और तत्पश्चात् सभापति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए कतिपय प्रश्नों के एक सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनके उत्तर चर्चा के दौरान तुरंत नहीं दिये जा सके थे।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 15 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1720 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री सुधीर गुप्ता
8. श्री मनोज कोटक
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री हेमंत पाटिल
11. श्री रवि शंकर प्रसाद
12. प्रो .सौगात राय
13. श्री गोपाल शेट्टी
14. डॉ. (प्रो) कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
15. श्री मनीश तिवारी
16. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
17. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

18. श्री सुशील कुमार मोदी
19. डॉ .अमर पटनायक
20. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
21. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

2. XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX.

(तत्पश्चात साक्षी सक्ष्य देकर चले गए।)

3. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया।

(i) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर चौवनवां प्रतिवेदन।

(ii) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर पचपनवां प्रतिवेदन।

(iii) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर छप्पनवां प्रतिवेदन।

(iv) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर सतावनवां प्रतिवेदन।

(v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर अठावनवां प्रतिवेदन।

कुछ विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया।